

—जरिये ई—मेल—
कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी (राजस्थान)

क्रमांक : स्था०/२०२४/ ५३

दिनांक : २९.०६.२०२४

:: कार्यालय आ दे श ::

वर्ष, २०२४ के माह जुलाई में दिनांक ३१.०७.२०२४ तक आगे वाले राजकीय अवकाशों हेतु बून्दी न्याय क्षेत्र के लिये आवश्यक फौजदारी कार्य, रिमाण्ड, जमानत एवं अन्य आवश्यक कार्य/मृत्युकालिक कथन, धारा १६४ दं.प्र.सं. के कथन/धारा १७६ दं.प्र.सं. की कार्यवाही हेतु रिमाण्ड ड्यूटी के लिये निम्नलिखित तारीखों में उनके सामने अंकित मजिस्ट्रेट्स को न्यायालय में वक्त प्रातः ११.०० ए.एम. से दोपहर ०२.०० पी.एम. तक करने के लिये अधिकृत किया जाता है—

क्र.सं.	नाम अधिकारी व पद	ड्यूटी की दिनांक	मोबाइल नम्बर
१.	सुश्री ममता, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी	०७.०७.२०२४	८६१९५५०९७०
२	श्री आदित्य वशिष्ठ, न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी (राज.)	१३.०७.२०२४ १४.०७.२०२४	९४१४०३४५५५
३	श्रीमती यशस्वी शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम-२, बून्दी	१७.०७.२०२४	९३५१९५९०२४
४	श्रीमती ऋचा चायल, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, केशोरायपाटन (बून्दी)	२१.०७.२०२४	९४१४७१४३८२
५	श्रीमती मिनाक्षी व्यास, न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डोली (बून्दी)	२७.०७.२०२४ २८.०७.२०२४	९४१४५१९०७४

नोट :-

- उक्त राजपत्रित अवकाशों के अलावा अन्य कोई राजकीय अवकाश/रथानीय अवकाश घोषित किये जाने पर घोषित अवकाश के दिवस को जमानत, रिमाण्ड व आवश्यक उक्त कार्यों के लिये समरत बून्दी न्यायक्षेत्र के लिये श्री करन सिंह, न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, जिला बून्दी की ड्यूटी लगाई जाती है।
- अभियुक्तगण को निर्धारित समय ही अवकाश न्यायालय के समक्ष पेश किया जावे। संबंधित धानाधिकारी के द्वारा मात्र विशेष एवं आपवादिक परिस्थितियों में ही मुलजिम को निवास पर पेश किया जावे। संबंधित न्यायालय का स्टाफ अवकाश के दिन उपरिथित रहेगा।
- उक्त आदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा, अपरिहार्य परिस्थितियों में ड्यूटी परिवर्तन हेतु संबंधित न्यायिक अधिकारी द्वारा माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बून्दी की पूर्वानुमति से अपने रत्त पर अन्य न्यायिक अधिकारी से लिखित सहमति प्राप्त कर प्रार्थना पत्र मय सहमति के इस कार्यालय में प्रेषित किये जाने के उपरान्त ही प्रार्थना पत्र पर विचार किया जायेगा। इस संबंध में अनावश्यक मौखिक वार्ता नहीं की जावे।
- अवकाश के दिन यदि संबंधित मजिस्ट्रेट अथवा लिंक मजिस्ट्रेट मुख्यालय पर उपरिथित है तो उनरों भी जमानत, रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिये आदेश प्राप्त किया जा सकता है।
- अवकाश के दौरान प्रत्युत एफ.आई.आर., रिमाण्ड कागजात एवं अन्य दरतावेजात आवश्यक रूप से अविलम्ब रांबंधित न्यायालय को प्रेषित करें।
- तारांकित अवकाश के दिन जिस न्यायिक अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी लगायी गयी है, वही न्यायिक अधिकारी उक्त अवकाश के परिवर्तित होने पर रिमाण्ड ड्यूटी करेगा।
- उक्त किरी भी अधिकारीगण का स्थानान्तरण होने पर उनके स्थान पर आगे वाले अधिकारी द्वारा ही नियत अवधि में रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की जावेगी।



२९/६/२४
(सिद्धान्त सकरेना)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बून्दी (राजस्थान)
लिंक अधिकारी

क्रमांक : सामान्य/२०२४/ २१०० - २१०९

दिनांक : २९.०६.२४

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बून्दी।
- जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि सभी आरक्षी केन्द्रों के थानाधिकारियों को जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुँचना सुनिश्चित करें। (३) संबंधित पीठासीन अधिकारी (४) जिला आवकाशी अधिकारी, बून्दी को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीन कार्यरत वृत्त निरीक्षक, प्रहराधिकारी, भारसाधक अधिकारी, आवकाशी थाना को जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुँचना सुनिश्चित करें। (५) पुलिस कंट्रोल रूम/ए.डी.पी. ऑफिस बून्दी (६) उपाधीक्षक, जिला कारागृह, बून्दी (७) अध्यक्ष, अभिभाषक परिषद, बून्दी। (८) सिरटम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, बून्दी को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि वह इस मैसेज को जिला न्यायालय की वेब साईट पर अपलोड करें।


२९/६/२४
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बून्दी (राजस्थान)
लिंक अधिकारी